न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 131/2019/अपील

मोहनलाल पुत्र बोदूराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी ठाकर सिंह वाली पटवार हल्का ढ़ाल्यावास तहसील खण्डेला जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र हणमान जाति जाट निवासी ढाणी ठाकरसिंह वाली पटवार हल्का ढाल्यावास तहसील खण्डेला जिला सीकर राज0
2. रमेश चन्द्र पुत्र हणमान
3. रामदेव पुत्र नारायण
4. लालूराम पुत्र हरलाराम

   समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी ठाकरसिंह वाली तन ढाल्यावास तहसील खण्डेला जिला सीकर
5. पदमाराम पुत्र मोतीराम
6. भींवाराम पुत्र मोतीराम

   जाति जाट निवासीगण कुआ मेसक्यावाली तन खेडी जाजोद तहसील खण्डेला जिला सीकर राज0
7. अणची देवी पुत्री मोतीराम पत्नि बोदूराम जाति जाट निवासी जयरामपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर
8. झूमा देवी पुत्री मोतीराम पत्नि धूकल जाति जाट निवासी जयरामपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर
9. प्रभाती देवी पुत्री मोतीराम पत्नि कजोड जाति जाट निवासी जाजोद तहसील खण्डेला जिला सीकर
10. दडकली पुत्री मोतीराम पत्नि भगवानसिंह जाति जाट निवासी ज्यानकीपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर राज0
11. तहसीलदार खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 16.10.2019 प्रकरण संख्या 05/2018 अनुवानी रामचन्द्र बनाम मोहनलाल वगै0 द्वारा न्यायालय तहसीलदार खण्डेला

वकील अपीलांट श्री रामेश्वरलाल बिजारणिंया
वकील रेस्पोडेंट श्री विधाधर सुण्डा

निर्णय **दिनांकः—31.12.2019**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र श्रीमान् जिला कलक्टर सीकर के समक्ष प्रस्तुत किया कि खसरा नम्बर 601 ग्राम ढाल्यावास में खेती काश्त हेतु ट्रेक्टर, बैलगाड़ी से संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि में

आने जाने में प्रचलित रास्ते की तारबंदी कर अप्रार्थी/अपीलांट ने बंद कर दिया। जो प्रार्थना पत्र तहसीलदार खण्डेला के पास भेजा गया। जिस पर भू.अ.निरीक्षक जाजोद व पटवारी हल्का ढाल्यावास की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण धारा 251 आरटीएक्ट मे दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया। अपीलांट ने जवाब प्रस्तुत करते हुए अभिकथित किया कि भूमि खसरा नम्बर 597, 601, 610, 611, 612 किता 5 रकबा 3.64 हैक्टर की खातेदारी शामलाती है, इसलिए यह प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है तथा ना ही खसरा नम्बर 610, 611 में से होकर खसरा नम्बर 601 में आने जाने का कोई प्रचलित रास्ता कभी रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र का योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.10.2019 को निर्णय पारित करते हुए ग्राम ढाल्यावास स्थित भूमि खसरा नम्बर 601 में जाने के लिए खसरा नम्बर 610, 611 की पूर्वी सीमा से सटकर उतरी दक्षिणी दिशा मे जाने का प्रचलित रास्ता 8 फिट चौडा मानते हुए अवरोध हटाने व रास्ता सुचारू रूप से चालू करवाने का आदेश पारित कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जिन भूमियों मे रास्ते के बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया, वो भूमियां अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट की संयुक्त खातेदारी की थी तथा शामलाती खातेदारी की भूमियों का बंटवारा होने पर रास्ते की समुचित व्यवस्था का प्रावधान है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मोतीराम की मृत्यु की सूचना अपीलांट द्वारा दिनांक 09.10.2019 को दी गयी, उसके बाद प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा कायम मुकाम प्रार्थना पत्र कब पेश किया गया, कब स्वीकार किया गया व किस दिन व दिनांक को वारिसान को नोटिस जारी किए गए का उल्लेख आदेशिका में नही है, जो स्पष्ट करता है कि अपीलाधीन निर्णय बिना माईण्ड अप्लाई किये पारित किया है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर भी कतई ध्यान नही दिया कि इन भूमियों मे से ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2003 में रास्ते के आदेश दिये गये जिनके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी के दादा मंगलाराम व अपीलांट के पिता बोदू ने दिनांक 20.06.2003 को माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की तथा अपील के पैरा संख्या 7 में इन भूमियो में से रास्ते के अस्तित्व को इंकार किया तथा प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भी अपने पूर्वज (दादा) के किए गए अभिकथनो के विबंधित था, उसके बावजूद भी गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को आधार मानकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय निरस्त होने योग्य है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.12.2001 को ढाणी ठाकुरसिंह वाली में पंचो के बीच अपीलांट व हनुमान पुत्र मंगलाराम की रास्ते के बाबत सहमति होने के हस्ताक्षर को आधार मानकर अपना निर्णय पारित किया, जबकि ऐसी कोई लिखावट अपीलांट की जानकारी में नही है। ग्राम ढाल्यावास तहसील खण्डेला जिला सीकर स्थित भूमि खसरा नम्बर 597, 601, 610, 611, 612 कुल किता 5 कुल रकबा 3.64 हैक्टर मे अपीलान्ट के हक हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 610 व 611 में से होकर कभी कोई रास्ता नही रहा तथा अपीलांट की फसल खडी है परन्तु योग्य अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की आड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 फसल को नष्ट करने व रास्ता कायम करने पर आमादा है। इसलिए योग्य अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.10.2019 की क्रियान्विति स्थगित किया जाना व खसरा नम्बर 610 व 611 के मौके की स्थिति यथावत बनाये रखने के लिए रेस्पोडेन्ट को प्रतिबंधित किया जाना प्रार्थनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार खण्डेला द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.10.2019 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.10.2019 में अंकित किया गया है कि "प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, रिपोर्ट भू.

अ.निरीक्षक व पटवारी हल्का, राजस्व रिकॉर्ड, जवाब प्रार्थी व अप्रार्थी, सहखातेदारान, पड़ौसी काश्तकारों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील अप्रार्थी पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व दिनांक 11.12.2001 को ढ़ाणी ठाकुरसिंह वाली में पंचो के बीच मोहन पुत्र बोदूराम व हनुमान पुत्र मंगलाराम हाल काबिज ढ़ाणी ठाकुरसिंह वाली से ग्राम ढ़ाल्यावास को उत्तर दिशा की तरफ जाने वाले रास्ते के सम्बंध निर्णय किया है कि खेत सींव जोड़ अर्जुन सिंह शेखावत व बनारसीलाल तिवाड़ी की मौजूदा सींव के पश्चिमी की तरफ 10 फूट का रास्ता रखा जायेगा जिसमें अप्रार्थी के सहमति के हस्ताक्षर अंकित है। का भी अवलोकन से पाया गया कि भूमि खसरा नम्बर 601, 610, 611 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे उत्तर दक्षिण रास्ता प्रचलित होने की पुष्टि होती है। जिसे अप्रार्थी ने अवरूद्व कर दिया है। प्रकरण रास्ते में अवरूद्व व सुखाधिकार का होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा भू.अ.निरीक्षक जाजोद व पटवारी हल्का ढ़ाल्यावास को आदेशित किया जाता है कि भूमि खसरा नम्बर 601 में जाने के लिए खसरा नम्बर 610 व 611 की पूर्वी सीमा से सटाकर उत्तरी दक्षिणी दिशा में जाने का प्रचलित रास्ता 8 फीट में अप्रार्थी द्वारा किये गये अवरोध को हटवाया जाकर प्रचलित रास्ता सुचारू रूप से चालू करावें। यदि आवश्यकता हो तो सम्बंधित पुलिस थाना से इमदाद प्राप्त कर लेवें।" अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के सम्बंध में हल्का पटवारी व भू.अ.निरीक्षक से जांच करवाई जाकर उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत दिनांक 24.10.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण व सहखातेदारों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुये एवं जवाब नोटिस पेश किये गये। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस को रिकॉर्ड पर लिया जाकर उसके पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 18.10.2018 का अवलोकन करने पर रिपोर्ट में अंकित किया हुआ है कि "मौके पर उपस्थित मौतबीरान से पूछताछ करने पर बताया कि प्रार्थी रामचन्द्र पुत्र हणमान जाति जाट विवादग्रस्त आराजियात में सहखातेदार है, जिसके खेती कार्य के लिए ट्रेक्टर व बैलगाड़ी के आने जाने हेतु 10 फीट चौड़ा रास्ता खसरा नम्बर 601 में जाने के लिए खसरा नम्बर 610 व 611 की पूर्वी सीमा से सटाकर उत्तरी दक्षिणी दिशा में आने जाने का यह रास्ता प्रचलित था। जिसको लगभग पिछले एक साल पहले सहखातेदार मोहनलाल पुत्र बोदूराम जाति जाट निवासी ढ़ाल्यावास (ढ़ाणी ठाकरसिंह वाली) ने बन्द कर दिया। इसके अलावा दूसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत ढ़ाल्यावास की आज्ञा दिनांक 20.06.2003 के मुताबिक खसरा नम्बर 576 गुरूबचन पुत्र माला बलाई, उगमसिंह राजपूत आदि की खातेदारी खसरा नम्बर 600 बनारसी लाल पुत्र कपूर चन्द तिवाड़ी की भूमि खसरा नम्बर 603 की पश्चिमी सीमा से होकर भूमि खसरा नम्बर 601 व 611 की पूर्वी सीमा व खसरा नम्बर 607, 608 की पश्चिमी सीमा से होता हुआ 20 फीट चौड़ा रास्ता ठाकर वाली ढ़ाणी को जाता है। रास्ता कदिमी है। अतः रास्ता अतिशीघ्र खुलवाया जावे। ग्राम पंचायत ढ़ाल्यावास द्वारा पारित आज्ञा दिनांक 20.06.2003 के विरूद्व न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। न्यायालय हाजा द्वारा उक्त अपील में दिनांक 10.10.2007 को निर्णय पारित कर अंकित किया कि "ग्राम पंचायत द्वारा कोई नया रास्ता कायम करने का आदेश नहीं दिया बल्कि पहले से प्रचलित रास्ते को बन्द करने हेतु लगाई बाधा को हटाने का आदेश दिया है। धारा 251 आरटीएक्ट में पूर्व प्रचलित रास्ते की

बाधा हटाने की शक्ति तहसीलदार को दी हुई है। ग्राम पंचायत द्वारा अन्य ग्रामवासियों के बयान लेकर निर्णय दिया है। ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय में स्पष्ट लिखा है कि पूर्व प्रचलित रास्ता था जो बाधित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.06.2003 विधि सम्मत है। इस प्रकार अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत ढ़ाल्यावास का निर्णय दिनांक 20.06.2003 को यथावत रखा जाता है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मुख्य तौर पर प्रथम आपत्ति यह जाहीर की है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मोतीराम की मृत्यु की सूचना अपीलांट द्वारा दिये जाने के बावजूद मोतीराम के वारिसान को कब रिकॉर्ड पर लिया गया व किस दिन मृतक के वारिसान को नोटिस जारी किए गए का उल्लेख आदेशिका में नहीं है। इस सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 09.10.2019 व 16.10.2019 में स्पष्ट उल्लेख किया जाकर मृतक वारिसान को विधिवत नोटिस जारी किये जाकर निर्णय पारित किया है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में दूसरी आपत्ति यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2003 में रास्ते के आदेश दिये गये जिनके विरूद्व रेस्पो. संख्या 1/प्रार्थी के दादा मंगलाराम व अपीलांट के पिता बोदू ने दिनांक 20.06.2003 को न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील के पैरा संख्या 7 में इन भूमियों में से रास्ते के अस्तित्व मे होने को इन्कार किया तथा प्रार्थी अपने दादा के किए गए अभिकथनों के विबंधित था उसके बावजूद गलत निर्णय पारित कर दिया। इस सम्बंध में न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.10.2007 का अंकन पूर्व में किया जा चुका है एवं न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय में ग्राम पंचायत द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा गया है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में तीसरी आपत्ति यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.12.2001 को ढ़ाणी ठाकुरसिंह वाली में पंचो के बीच अपीलांट व हनुमान पुत्र मंगलाराम की रास्ते के बाबत सहमति होने के हस्ताक्षर को आधार मानकर अपना निर्णय पारित किया है। इस सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अंतिम पृष्ठ पर स्पष्ट अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक व पटवारी हल्का, राजस्व रिकार्ड, जवाब प्रार्थी व अप्रार्थी, सहखातेदारान, पड़ौसी काश्तकारों का अवलोकन किया गया। इस प्रकार योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र उक्त पंचो के बीच दिनांक 11.12.2001 को हुई लिखावट के आधार पर निर्णय पारित नहीं किया है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में वर्णित रास्ते को ग्राम पंचायत ढ़ाल्यावास द्वारा नया रास्ता नही मानकर कदिमी रास्ता माना है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर विवादग्रस्त आराजियात बाबत योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिवत तरीके से पटवारी हल्का, भू.अ.निरीक्षक की रिपोर्ट, सहखातेदारान व पड़ौसी काश्तकारों की सुनवाई व साक्ष्य शपथ–पत्र लिये जाने के उपरांत विस्तृत निर्णय पारित किया गया है, जिसमें दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर
अति॰ जिला कलक्टर, सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Prakash Narayan
Date: 2020.01.01 18:11:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: